

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 11-02-2010 का कार्यवाही विवरण

श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 11-02-2010 को सायं 5:30 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री ताराचन्द्र मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. श्री नरेन्द्र दवे, निदेशक (विधि) जोधपुर विकास प्राधिकरण
3. श्री सुरेश कुमार नवल, उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण
4. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण
5. श्री मगनलाल योगी, उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण
6. श्री ओ. पी. विश्नोई, उपायुक्त (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण
7. श्री मुकेश भाटी, अधिशाषी अभियन्ता, (उत्तर) जो० वि० प्रा०
8. श्री निरंजन माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, (दक्षिण) जो० वि० प्रा०
9. श्री के. के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, (पश्चिम) जो० वि० प्रा०
10. श्री अरुण मेहता, अधिशाषी अभियन्ता, (पश्चिम) जो० वि० प्रा०
11. श्री रोशनसिंह, सहायक नगर नियोजक, कार्यालय व०न०नियोजक
12. श्री अनिल माथुर, उप नगर नियोजक, जो० वि० प्रा०
13. श्री आर. एल. टुकलिया, निदेशक (आयोजना) जो० वि० प्रा०

सदस्य सचिव

सर्वप्रथम गत बैठक दिनांक 18-12-2009 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर उसकी पुष्टि की गयी । आयुक्त महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को पूर्व में दिदे गये नीतिगत निर्देशों का स्मरण कराते हुए उनके अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी जारी करते हुए आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ बिक्री योग्य क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत अथवा कुल भूखण्डों का 15 प्रतिशत जो भी अधिक हो तक भूमि आरक्षित करने के निर्देश जारी किये गये है जिनकी पालना भी आवश्यकतानुसार ले-आऊट प्लान में की जानी अपेक्षित है । हाल ही में राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा दो हैक्टर क्षेत्रफल तक की योजनाओं को अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत भूखण्ड आरक्षित रखने में छूट प्रदत्त की गयी है, परन्तु राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में आदेश प्राप्त नहीं हुए है, अतः उक्त क्षेत्रफल तक के ले-आऊट प्लान जारी करने से पूर्व इस प्रकार के प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग से स्थिति स्पष्ट कर ली जावे, एवं तदनुसार ही ले-आऊट प्लान जारी किया जावे, भूखण्डों के आरक्षण की स्थिति में आरक्षित क्षेत्रफल बिक्री योग्य क्षेत्रफल से कम जावे । उक्त विचार विमर्श के पर्याप्त निम्नलिखित ले-आऊट प्लान समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये ।

1. राजस्व ग्राम बोरानाड़ा के खसरा नम्बर 320 रकबा 11 बीघा भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक : श्री भागीरथ जांगिड पुत्र श्री पदमाराम ।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित खसरान् की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है । उक्त ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण कराये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा प्लान में आंशिक संशोधन करते हुए प्लान ले-आऊट प्लान समिति के समक्ष रखे जाने का अंकन किया गया है । उक्त खसरान् की भूमि बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में स्थित है । जिसके दक्षिण में मास्टर प्लान के अनुसार 80' चौड़ी सड़क प्रस्तावित है । आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा पूर्व में ले-आऊट प्लान स्वीकृत किया हुआ है । उक्त खसरान् के ले-आऊट प्लान में 80' चौड़ी सड़क का एलाईनमेंट निर्धारित किया गया था तथा उसी एलाईनमेंट के अनुसार 80' चौड़ी सड़क को पश्चिम की ओर आगे बढ़ाया जाना है । योजना ले-आऊट प्लान के पूर्वी भाग में कुछ भूमि आरक्षित रखी गयी है तथा पूर्व में स्वीकृत ले-आऊट प्लान एवं प्रस्तुत ले-आऊट प्लान की सड़कों का आपस में मिलान किया गया है । सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा भूमि का प्रमाणीकरण किया गया है । आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है । विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है ।

उप नगर नियोजक, प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा भूके पर सड़क प्रतिरूप विकसित कर दिया गया है, जो संशोधित ले-आऊट प्लान के अनुसार है । ले-आऊट प्लान के भू-उपयोग विश्लेषण के अनुसार बिक्री योग्य क्षेत्र 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अदलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधित ले-आऊट प्लान के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया । जिसमें मानचित्र में अंकित आरक्षित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रखा जावेगा तथा वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अंकित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी । उक्त प्रकरण में अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

2. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 55/1 एवं 778/55 की रकबा 16 भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदन ।
आवेदक श्री कमल किशोर पुत्र श्री चुन्नीलाल ।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित खसरान् की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है । उक्त ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण कराये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा प्लान में आंशिक संशोधन करते हुए प्लान, ले-आऊट प्लान समिति के समक्ष रखे जाने का अंकन किया गया है । उक्त खसरान् की भूमि गगाणा बाई पास के पूर्व में स्थित है । उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना में भूखण्डों की नियमन राशि प्राधिकरण में उभा करवा दी गयी है । ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा भूमि का प्रमाणीकरण किया गया है ।

आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है । विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है ।

उप नगर नियोजक, प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा मौके पर सड़क प्रतिरूप विकसित कर दिया गया है, जो संशोधित ले-आऊट प्लान के अनुसार है तथा समीपीय भूमियों की सड़कों को आपस में लिंक किया गया है । ले-आऊट प्लान के भू-उपयोग विश्लेषण के अनुसार बिक्री योग्य क्षेत्र 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है । सचिव, प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से अधिक है, अतः राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड प्रस्तावित किये जाने हैं । उक्त प्रकरण घोषित नीति से पूर्व में आवेदित है ।

समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया जिसमें व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में उक्त घोषित नीति के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षित करते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधित ले-आऊट प्लान के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया । अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत आरक्षित भूखण्डों के क्षेत्रफल को कुल बिक्री योग्य क्षेत्रफल से कम किया जावेगा । जिसमें उनके द्वारा अंकित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी । साथ ही सचिव, प्राधिकरण को उक्त पॉलिसी के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विस्तृत निर्देश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।

3. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 182/1 की रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदन ।
आवेदक श्री कुम्भाराम पुत्र श्री पीराराम ।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित खसरान् की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है । उक्त ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण कराया जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा प्लान में आंशिक संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान अनुमोदन किया गया है, उक्त खसरान् की भूमि आंगणवा गेज के उत्तर-पूर्व में स्थित है । उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा भूमि का प्रमाणीकरण किया गया है । आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है । विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है ।

समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अवलोकन किया गया परन्तु उस पर भू-उपयोग विश्लेषण की जानकारी अंकित नहीं की गयी है । समिति द्वारा उप नगर नियोजक को भू-उपयोग को विश्लेषण की जानकारी के साथ साथ प्रकरण के समस्त तथ्यों का परीक्षण किया जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

4. राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 84, 85/1 एवं 88/4 की रकबा 78 बीघा 7 बिस्वा भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदन ।
आवेदक मैसर्स भोलेनाथ बिल्डर्स प्रा. लि. ।


जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित उक्त खसरान् की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसके पूर्वी भाग में मास्टर प्लान के अनुसार 100' - 100' लंबी


सड़के प्रस्तावित है। उक्त ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण कराये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा प्लान में आर्थिक संशोधन विशेष कर सड़क प्रतिरूप का अंकन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत कर प्रेषित किया गया है। उक्त खसरान् की भूमि आरटीओ ऑफिस के पूर्व दिशा में स्थित है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा भूमि का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, तथा भूमि अधापति में भी नहीं है। उप नगर नियोजक, प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथी द्वारा मौके पर सड़क प्रतिरूप विकसित कर दिया गया है, जो संशोधित ले-आऊट प्लान के अनुसार है तथा समीपीय भूमियों की सड़कों को आपस में लिंक किया गया है। ले-आऊट प्लान के भू-उपयोग विश्लेषण के अनुसार बिक्री योग्य क्षेत्र 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

सचिव, प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से अधिक है, अतः राज्य सरकार द्वारा हाल में घोषित अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड प्रस्तावित किये जाने हैं। उक्त प्रकरण घोषित नीति से पूर्व में आवेदित है।

समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षित करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान अनुमोदित किया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित समस्त शर्तों की पालना की जावेगी। अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत आरक्षित भूखण्डों के क्षेत्रफल को कुल बिक्री योग्य क्षेत्रफल से कम किया जावेगा। उक्त क्षेत्र में मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़के स्थित है, अतः सम्बन्धित अधिशाथी अभियन्ता को उक्त क्षेत्र में सड़क प्रतिरूप विकसित करने हेतु सड़कों के मार्गाधिकार में आ रही भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर सड़क निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सचिव, प्राधिकरण को उक्त पॉलिसी के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विस्तृत निर्देश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में अन्य प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण कर भू-उपयोग विश्लेषण करा कर आगामी बैठक रखे जाने का निर्णय लिया गया एवं बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


निदेशक, (आयोजना) 11/2/16
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।



आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।


क्रमांक :- F-37/DTP/LAYOUT I/10/868-880










दिनांक :- 22/2/10

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक (आयोजना) जो.वि.प्रा एवं परिष्क नगर नियोजक, जोधपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. प्रभारी अधिकारी (सर्तकता), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली, उप नगर नियोजक, शारप्रा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।


 उप नगर नियोजक
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर।

APD
 Layout file
 अमित वासुदेव अर

 25/2


 23/2/10

 23/2/10

 23/2/10

 23/2/10

 23/2/10

 23/2/10

 23/2/10

 23/2/10

 23/2/10